न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 20/2013
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती गुल्ली देवी पत्नी नानगराम माली
2. भंवरलाल पुत्र नानगराम माली
3. गणेश पुत्र नानगराम माली
   नि0 नई ढाणी एन0बी0सी0 के सामने, जयपुर।
4. प्रताप पुत्र नानगराम माली निवासी रावल जी का बंधा, तंवर कॉलोनी, मालियों के मन्दिर के पास, जयपुर।
5. ग्यारसी पुत्री नानगराम पत्नी नाथूलाल माली निवासी नाहरी का नाका, हनुमान मन्दिर के पास, जयपुर।
6. पांची देवी पुत्री नानगराम पत्नी नानूराम माली नि0 हसनपुरा ए, जयपुर।
7. मन्नी देवी पुत्री नानगराम पत्नी नानगराम माली निवासी कमानी फैक्ट्री के पीछे, सरदार जी के फार्म के पास, जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 14-07-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी तहसीलदार जयपुर द्वारा न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 26 निर्णय दिनांक 20.08.1976 के विरुद्ध रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पेश किया जिसमें अंकित है कि राजकीय भूमि खसरा नं0 104 वाके ग्राम प्रेमपुरा मृतक नानगराम की खातेदारी दर्ज है, जो नियमों के प्रतिकूल है। उक्त खातेदारी नायब तहसीलदार द्वारा दी गई है, जो ऐसी खातेदारी देने हेतु प्राधिकृत नहीं है। वर्णित भूमि जे0डी0ए0 एवं नगर निगम सीमा में स्थित है तथा बहुत कीमती राजकीय भूमि है। खातेदार का देहांत हो जाने के कारण उनके वारिसान के नाम रेफरेंस प्रकरण बनाया गया है। अन्त में नामान्तकरण संख्या 26 निरस्त फरमा कर भूमि को सिवायचक घोषित किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के संलग्न नामान्तकरण संख्या 26 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस सही पते के अभाव में अधम तामील प्राप्त हुये। प्रार्थी तहसीलदार जयपुर को विपक्षीगणों के सही पते की सूचना पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई परन्तु प्रार्थी तहसीलदार द्वारा कोई जवाब या नये पते की सूचना पेश नहीं की गई। पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश करने वाले प्रार्थी तहसीलदार की जिम्मेदारी भी बनती है कि यदि उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तो विपक्षीगण के तलबी नोटिस तामील करवाया जाना अपेक्षित होता है। साथ ही यदि तामील का पता सही नहीं है तो सही पते की जानकारी कर न्यायालय को अप्रार्थीगण की सम्पूर्ण वल्दियत पेश करनी चाहिये। परन्तु इसमें प्रार्थी तहसीलदार असफल रहे हैं। सही पते रेफरेन्स ग्राम प्रेमपुरा के नामान्तकरण संख्या 26 खसरा नम्बर 104 के संबंध में विचाराधीन है। विवादित खसरा भूमि वर्तमान जमाबंदी अनुसार राजकीय खाते में दर्ज है।

अतः रेफरेन्स का निस्तारण किया जाकर निर्देश है कि रेफरेन्साधीन भूमि वर्तमान में राजकीय खाते में दर्ज है। यदि भूमि निजी खातेदारी में अथवा अन्य किसी भी कारण नियम विरुद्ध दर्ज हुई है तथा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 व 88 अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हो तो परीक्षण किया जाकर नियमानुसार समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की सम्पूर्ण वल्दियत पता, आवंटन आदेश आदि के साथ नियमानुसार रेफरेन्स प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 14-7-25 सरे इजलास सुनाया गया। बाद निर्णय पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर